राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एंव उद्यमिता विभाग

क्रमाक : प.( ) त.शि./कौनिउ/2016 दिनांक :04/07/16.

F1(6) त.शि./1999.

— :: आदेश :: —

विषय :— सत्र 2016—17 से अनुसुचित जनजाति योजना क्षेत्र के स्थानीय जनजाति युवाओं को राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:—प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के यू.ओ. नोट कमांक:PS/PSTAD/16/537 दिनांक 22.06.2016

संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में निर्णय लिया गया है कि राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजन (क्राफ्टसमैन ट्रैनिंग स्कीम) के विभिन्न पाठ्यक्रमो (नियमित एंव स्ववित्तपोषित योजना) में प्रवेश हेतु निर्धारित 12 % आरक्षण में से 45 % आरक्षण को सत्र 2016—17 से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओ के लिए आरक्षित किया जाना है। उक्त निर्णय के अनुसार आरक्षण के प्रावधान इस प्रकार रहेगें।

1. राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % स्थान आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 % आरक्षण के अध्याधीन ही देय होगा। सीटे खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो से भरी जा सकेगी । इसके पश्चात् भी स्थान रिक्त रहने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियो से योग्यता क्रम अनुसार प्रवेश लिये जावेंगे।
2. यह आदेश सहरिया जाति के युवाओं के लिये खोली गई औ.प्र.संस्थान शॉहबाद जिला बांरा एंव देवनारायण योजनान्तर्गत खोली गयी औ.प्र.संस्थान बानसूर जिला अलवर, सैपउ जिला धौलपुर, झालरापाटन जिला झालावाड, नादौती एंव सपोटरा जिला करौली एंव खण्डार जिला सवाई माधोपुर पर एंव अल्पसंख्यक के हितार्थ औ.प्र.संस्थान टौंक में मैकेनिक ट्रैक्टर एंव औ.प्र.संस्थान जैसलमेर में मेकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय पर लागू नहीं होंगे।

3. इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में औ.प्र.संस्थानो में मांग – 30 के तहत केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लिये संचालित किये जा रहे व्यवसायो में पूर्व अनुसार आरक्षण यथावत रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र के औ.प्र.संस्थानो में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित व्यवसाय / एकक में अनुसूचित जनजाति हेतु निरधारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % स्थान आरक्षित रहेगा।

4. उक्त आदेश केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी ही पात्र होंगे। तथा अनुसूचित क्षेत्र के निवासी से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी आदेशों / निर्देशो एंव विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण पत्र धारक होंगे।

सत्र 2016–17 से राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में उपरोक्तानुसार आरक्षण के प्रावधानो के अनुरूप ही प्रवेश कार्य करवाना सुनिश्चित् किया जावें।

संयुक्त सचिव,
तकनीकी शिक्षा

क्रमांक : प.( ) त.शि. / कौनिउ / 2016

दिनांक : 04/07/2016

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, कौशल नियोजन एंव उद्यमिता मंत्रालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कौशल नियोजन एंव उद्यमिता विभाग, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर बांसवाडा / डुंगरपुर / प्रतापगढ / उदयपुर / सिरोही।
8. निदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त सचिव,
तकनीकी शिक्षा